

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं० :-9/निधि-स्कीम (0104-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)-02-10/2025-

पटना, दिनांक -

206 (3) MUP
21/02/2026

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय: मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0104-सात निश्चय-02 सुलभ सम्पर्कता, विपत्र कोड - 41-5054037960104, विषय शीर्ष-0104.53.01-मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष-0104.53.02-भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ-7 में अंकित मॉग पत्र के आलोक में संबंधित कार्यालय / पथ प्रमंडलों को स्तम्भ सं०-5 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹18,49,00,000/- (अठारह करोड़ उनचास लाख रुपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित अंकित कार्यालय / पथ प्रमंडलों को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं०-6 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0104-सात निश्चय-02 सुलभ सम्पर्कता, विपत्र कोड- 41-5054037960104, विषय शीर्ष-0104.53.01-मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष-0104.53.02-भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 227/वि., दिनांक- 28.03.2025, पत्रांक-235 /वि. दिनांक-01.04.2025 एवं पत्रांक-191 /वि. दिनांक-16.02.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
6. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
7. यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
8. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
9. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं०- 6191 (एस) दिनांक-08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।
10. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि में से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यापण दिनांक-28.02.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।
11. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

8

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0 : - 9/निधि-स्कीम (0104-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)-02-10/2025- 206(S) (u/f)

पटना, दिनांक - 21/02/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/
संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / सचिव कोषांग, पथ
निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प0नि0वि0, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र0 को0), प0नि0वि0,
पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प0नि0वि0, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0, पटना/
कार्यपालक अभियंता (बजट-2), प0नि0वि0, पटना/ अवर सचिव (बजट), प0नि0वि0, पटना / आई.टी. मैनेजर,
प0नि0वि0, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-9 एवं लेखा प्रशाखा, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका सं0 : - 9/निधि-स्कीम (0104-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)-02-10/2025- 206(S) (u/f)

पटना, दिनांक - 21/02/2026

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति (पत्रांक/ दिनांक के आलोक में)
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा	0104.53.01	2,00,00,000	2,00,00,000	4,00,00,000	196 / 05.02.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रोसड़ा	0104.53.01	2,00,00,000	1,00,00,000	3,00,00,000	106 / 22.01.2026
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी	0104.53.01	3,00,00,000	2,00,00,000	5,00,00,000	138 / 10.02.2026
	योग		7,00,00,000	5,00,00,000	12,00,00,000	

आवंटन विवरणी


संचिका सं० : - 9/निधि-स्कीम (0104-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता)-02-10/2025-

पटना, दिनांक -

206(S)UEA
21/02/2026

(राशि रुपये में)


क्रम सं०	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	शीर्षान्तर्गत पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति (पत्रांक/ दिनांक के आलोक में)
1	2	3	4	5	6	7
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा	0104.53.02	3,50,00,000	10,99,00,000	14,49,00,000	2397 / 16.09.2025
5	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज	0104.53.02	2,50,00,000	2,50,00,000	5,00,00,000	1611 / 12.12.2025
योग			6,00,00,000	13,49,00,000	19,49,00,000	
कुल योग			13,00,00,000	18,49,00,000	31,49,00,000	
वर्तमान आवंटन शब्दों में अठारह करोड़ उनचास लाख रुपये मात्र।						


21-02-2026

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

A


21/02/26

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।